रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 341] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 2, 1998/भाद्र 11, 1920
No. 341] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 2, 1998/BHADRA 11, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 1998

सं० 36/98 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन. टी.)

सा. का. नि. 552 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तेरहवाँ संशोधन) नियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 187 क में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि कोई विनिर्माता—निर्यातक, जिसने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में दस करोड़ रुपए से अधिक का शुल्क नकदी में या चालू खाते द्वारा संदत्त किया है अथवा कोई विनिर्माता—निर्यातक जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात और आयात नीति के उपबंधों के अधीन सुपर ट्रेडिंग हाऊस, स्टार ट्रेडिंग हाऊस, ट्रेडिंग हाऊस या एक्सपोर्ट हाऊस की हैसियत प्रदान की गई है और जिसके पास माल है, वह पैकेजों या पात्रों को प्रेषण के स्थान पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, स्वयं ही सीलबंद कर सकेगा और उन्हें निर्यात के लिए हटा सकेगा—

(i) कि विनिर्माता—निर्यातक, आयातित हटाये जाने से कम से कम चौबीस घन्टे पूर्व या ऐसी छोटी अवधि के भीतर जिसे माल का विनिर्माण करने वाली कारखाने पर अधिकारिता रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, समुचित अधिकारी को सूचना देगा, और

(ii) माल की विनिर्माता इकाई का स्वामी, कार्यकारी भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, यथास्थिति आवेदन पर यह प्रमाणित करेगा कि माल उसकी उपस्थिति में सीलबंद किया गया है।"

[फा. सं. 209/08/98-सी एक्स-6]

पी० के० सिन्हा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत सरकार की असाधारण अधिसूचना सं. IV डी-सी ई, तारीख 28 फरवरी, 1944 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 40/94-उ.शु.(एन. टी.) तारीख 22 सितम्बर, 1994 को भारत के राजपत्र असाधारण में सा.का.नि. 699 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित हुई थी, द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 1998

NO. 36/98-CENTRAL EXCISE (N.T.)

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules 1944, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Thirteenth Amendment) Rules, 1998.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in rule 187A, after the proviso, the following proviso shall be inserted. namely:—

"Provided further that a manufacturer-exporter who paid duty exceeding rupees ten crores in cash or through account current in the preceding financial year or a maufacturer-exporter who has been accorded status of Super Star Trading House, Star Trading House, Trading House or Export House under the provisions of the Export and Import Policy, notified by the Central Government under section 5 of the the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992). containing the goods may seal the packages or conmtainers himself at the place of despatch and remove them for export subject to the conditions that.—

(i) an intimation to proper officer shall be given by the manufacturer-exporter at least twenty four hours before the intended removal or within such shorter period as the Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the factory of manufacture of the goods may allow, and

(ii) the owner, the working partner, the Managing Director or the Company Secretary of the manufacturing unit of the goods or a person duly authorised by the Board of Directors of such Company, as the case may be, shall certify on the application that the goods have been sealed in his presence.

[F. No. 209/08/98-C.X. 6]

P. K. SINHA, Under Secy.

Footnote :— The Principal Rules were published vide Government of India, Extraordinary Notification No. IV D-C E, dated the 28th February, 1944 and last amended by Notification No. 40/94-CE(NT) dated 22nd September, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, under G.S.R. No. 699(E) dated the 22nd September, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998